

BOOK No. SL No. 84
Dated: 19 SEP 2022



प्रपत्र-ख
शपथ-पत्र

मैं, सीमा कुमारी पति/पति राजीव कुमार शाही

उम्र 53 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर प्रचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 05

मोहल्ला समली चट्टी, पोस्ट समली चट्टी, थाना बदमपुरा, जिला मुजफ्फरपुर

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर प्रचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 05 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर प्रचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड 05 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर -

Ashish Kumar

सीमा कुमारी

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम- ASHISH KUMAR

पता- IMLICHATTE, P.S.- BRAHAMPOUR
DISTRICT:- MUZAFFARPUR

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर

नरेन्द्र कुमार (प्रभु)

नाम- नरेन्द्र कुमार (प्रभु)

पता- समली चट्टी - थाना - बदमपुरा
जिला - मुजफ्फरपुर

स्थान : मुजफ्फरपुर

दिनांक : 19.09.2022

Contents of the Affidavit
solemnly affirmed and declared
before me through Deponent/Executant
identified by Advocate

PRASAD KUMAR
NOTARY MUZAFFARPUR (BIHAR)

लगातार

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिशनर के समक्ष शपथ ली जाएगी।

Ram Niwan Thakur
Adv.
19/09/2022
E.No. 70/2000

19 SEP 2022

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुजफ्फरपुर जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर

के वार्ड संख्या 05 से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- सीमा कुमारी

पति/पति का नाम- राजीव कुमार शाही

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं- शून्य

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:-

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये-

शून्य

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या-

शून्य

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति-

शून्य

(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)

शून्य

(iv) दिया गया दण्ड-

शून्य

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो-

शून्य

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि-

शून्य

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? शून्य

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण-

शून्य

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया-

शून्य

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है-

शून्य

(iv) यदि निष्पादित है, तो

शून्य

(क) निष्पादन की तिथि-

शून्य

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण-

शून्य

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शून्य

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि-

शून्य

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें-

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों-

कोर्ट नं-09, जेठ एमो II nd
1488, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी)

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या-

शिकायत नं- 414 दोगमा- 360/2011

2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर वैसे किसी लंबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- शुद्ध

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- शुद्ध
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शुद्ध
- (iii) अपराध संख्या- शुद्ध
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शुद्ध
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शुद्ध

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- शुद्ध

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- शुद्ध
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शुद्ध
- (iii) अपराध संख्या- शुद्ध
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शुद्ध
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शुद्ध

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- शुद्ध

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- 2 एकड़, ग्राम- वीरपुर, थाना- कोटी जिला- शुद्ध

क्षेत्र प्रो. - 1000000/- मजमूदा

(ii) शहरी भूमि- एक कच्चा क्षेत्र प्रो. - 2000000/- मजमूदा
मो. - ब्रह्मपुरा (थाना नं. - 222 खेला - 761)

(iii) भवन- शुद्ध

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद 446,444/- ^{सीमा कुमारी} 21-2 (ii) बैंक बैलेन्स- 4,16,444.57
(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)

(iii) फिक्स डिपोजिट 20-4
(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) बॉण्ड, शेयर-
(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन नए
(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण 5 भर सोना
(पूर्ण विवरण दें) ^{दीप्ता लज्जा} 250000/-

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/
वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

20-4

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति 20-4

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज
के नाम के साथ अंकित करें-

मैट्रीक, आर. सी. उच्च विद्यालय, वीरपुर

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर
तिथि- 21-09-2022

सीमा कुमारी
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेलथ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।
नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।
स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने का प्रयत्न है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।